भागुराम भील Vs. रामचन्द्र भील वगैरा कि. [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रक0 74/12	
14/7/17	पत्रावली चिन्हित होने से राजस्व लोक अदालत केम्प में तलब की गयी। अधिवक्ता मय पक्षकारान ~~उप0~~ /अनु0। प्रकरण का अवलोकन मनन किया गया जिससे जाहिर आया कि उक्त प्रार्थना–पत्र से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य शेष नही रहता है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.ए. मूल वाद के अभाव में इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नम्बंर से कम हो। निर्णय आज दिनांक को लोक अदालत केम्प में लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। (बलवन्तसिहं लिग्री) पीठासीन अधिकारी उपरवण्ड अधिकारी आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017	

Scanned by CamScanner